



## न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और तदधीन बनाये गये नियमों की संक्षिप्तियाँ

### संक्षिप्त

अंग्रेजी में और उस भाषा में बहुसंख्या द्वारा समझी जाती है, स्थापन के मुख्य द्वारा पर या उसके निकट किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा।  
**नियम (20)/**

**राजपत्र अधिसूचना नं सा का नि 2868 के अनुसार**

#### 1. अधिनियम किसे लागू है:-

(क) अधिनियम उन व्यक्तियों को लागू है जो अनुसूचित नियोजनों में काम के उस उल्लिखित वर्ग में लगा हुआ है जिसके सम्बन्ध में न्यूनतम मजूरियाँ नियत की जा चुकी हैं। (ख) कोई कर्मचारी संविदा या करार द्वारा अपने अधिकारों को वहां तक नहीं छोड़ सकता है, जहां तक कि इसका प्रयोजन अधिनियम के अधीन मजूरियों की न्यूनतम दरों को कम करना है।

#### 2. मजबूरी की परिभाषा:-

(1) 'मजबूरी' से वह सब परिश्रेतिक अभिप्रेत है जो नियोजित व्यक्ति को नियोजन की अपनी संविदा की पूर्ति पर देय है और इसके अन्तर्गत गृह भाटक भता है। इससे -

i. किसी गृह आवास, प्रकाश प्रदाय, जल, चिकित्सीय परिचर्या का या ऐसी किसी सुख-सुविधा या किसी अन्य सेवा का, जो कि समुचित सरकार का साधारण या विशेष आदेश द्वारा अपवर्जित है,

मूल्य;

ii. ऐसा कोई अंशदान, जो कि किसी निवृति वेतन निधि या भविष्य निधि में या सामाजिक बीमे की किसी संयोजना के अधीन नियोजक द्वारा दिया गया है;

iii. यात्रा भता या किसी यात्रा रियायत का मूल्य; न्यूनतम मजबूरी (केन्द्रीय) नियम, 1950

iv. ऐसी कोई राशि, जो कि नियोजि व्यक्ति को अपने नियोजन की प्रप्ति के कारण अपने पर पड़ने वाले विशेष व्ययों को करने के लिए दी गयी है, या v. सेवोन्मोचन पर देय उपदान, अपवर्जित हैं।

#### **(1) मजबूरी की न्यूनतम दर -**

i. मजबूरी और निर्वाह व्ययार्थ भता कहे जाने वाले विशेष भते की आधारभूत दर,

ii. निर्वाह व्ययार्थ भते और आवश्यक जिन्सों के रियायती दर पर प्रदाय जैसी किन्हीं रियातों के नगद मूल्य के सहित या विना मजबूरी की आधारभूत दर, और

iii. ऐसी सर्वान्तर भूत दर जिसमें आधारभूत दर, निर्वाह व्ययार्थ भता और रियायत का नगद मूल्य,

यदि कोई हो, समाविष्ट है, हो सकेगा।

(3) अनुसूचित नियोजनों के कर्मचारियों को देय जो न्यूनतम मजूरियाँ धारा 1 के साथ पठित धारा 5 के अधीन अधिसूचित गई हैं या धारा 3 के साथ पठित धारा 10 के अधीन समय-समय पर पुनरक्षित की गई है। वे न्यूनतम मजूरियाँ (1) विभिन्न अनुसूचित नियोजनों

**(2) विभिन्न प्रकार के काम (3) विभिन्न बस्तियों, (4) विभिन्न मजबूरी कालवधियों, और (5)**

विभिन्न आयु वाले वर्गों के अनुसार

विभिन्न होते हुए -

(क) न्यूनतम कालानुपाती दर से;

(ख) न्यूनतम

कर्मानुपाती दर से;

ग) प्रत्याभूत कालानुपाती दर से;

(घ) अतिकाल

दर से;

**3. देवगी की संगणना और शर्तें:-**

नियोजक अपने अधीन अनुसूचित नियोजन में लगे प्रत्येक कर्मचारी को मजबूरी उस दर से देगा जो कि कर्मचारी के उस वर्ग के लिए नियत मजबूरी की न्यूनतम



दर से कम नहीं है। जब तक कि सरकार इस अधिनियम के अधीन देय न्यूनतम मजूरी की देनगी सम्पूर्णतः या भागतः वस्तु रूप में देना प्राधिकृत नहीं करती तब तक वह नगदी में दी जाएगी। मजूरी देने के वास्ते मजूरी कालावधियाद् एक मास के या ऐसी अन्य दीर्घतर कालावधि के, जैसी की विहित की जाए, अन्तराल की होगी। मजूरी कालावधि की समाप्ति के सात दिन के भीतर या यदि 1000 या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं तो दस दिन के भीतर वाले काम वाले दिन को मजूरी दे दी जायेगी।

सेवोन्मोचित व्यक्ति की मजूरी उसके सेवोन्मोचन के पश्चात् वाले दूसरे काम वाला दिन खत्म होने के पहले दे दी जायेगी।

### **कर्मकार मजदूरी विधि**

यदि किसी कर्मचारी का नियोजन किसी दिन प्रसामान्य काम वाले दिन से न्यून कालावधि के लिए किया जाता है, तो वह पूर्ण प्रसामान्य काम वाले दिन के लिए मजूरी पाने के लिये हकदार होगा, परन्तु यह तब जब कि वह इस कारण कि नियोजक उस कालावधि के लिए उसे काम नहीं दे सका है, न कि काम करने में उस कर्मचारी की अनिच्छा के कारण, काम नहीं कर पाया है। जहाँ कि कर्मचारी दो या अधिक प्रकार के काम करता है जिनमें से प्रत्येक के लिये मजूरी की विभिन्न न्यूनतम दर लागू हैं, वहाँ नियोजक ऐसे कर्मचारी को ऐसे प्रत्येक प्रकार के काम में क्रमशः लगाये गये समय के लिये उस न्यूनतम दर से अन्यून दर पर मजूरी देगा जो कि प्रत्येक ऐसे प्रकार के लिए प्रवृत्त है। जहाँ कि कर्मचारी ऐसे फुटकर काम पर नियोजित है जिसके लिये न्यूनतम कालानुपाली दर न कि न्यूनतम कर्मानुपाती दर नियत की गई है वहाँ नियोजक ऐसे कर्मचारी की न्यूनतम कालानुपाती दर से अन्यून दर से मजूरी देगा।

#### **1. काम के घंटे और पर्व छुटियाँ: -**

काम के घंटे, जितनों का प्रसामान्य काम वाला दिन होगा

(क) वयस्क की अवस्था में, 9 घण्टे होंगे

(ख) बालक की अवस्था में 4-1 / 2 घण्टे होंगे;

वयस्क कर्मकार का काम वाला दिन, विश्रामार्थ अन्तरालों सहित किसी दिन बारह घंटों से अधिक का नहीं होगा। नियोजक कर्मचारी को प्रत्येक सप्ताह मजूरी सहित एक विश्राम दिन होगा। मामूली तौर पर रविवार सप्ताहिक विश्राम दिन होगा। किन्तु सप्ताह का कोई दिन ऐसा विश्राम दिन नियत किया जा सकेगा। जो विश्राम दिन नियत गया है उस दिन किसी भी कर्मचारी से काम करने की अपेक्षा जब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उसे उन दिन के लिये अधिकाल दर पर मजूरी नहीं दी जाती है और उसे बदली वाला विश्राम दिन मजूरी सहित नहीं दिया जाता। (नियम 23 देखें)। जबकि कर्मकार नियोजन में किसी दिन नौ घंटों से अधिक या किसी सप्ताह में अड़तालीस घंटों से अधिक काम करता है, जब वह अतिकाल काम मद्देह मजूरी कृषि से भिन्न अनुसूचित नियोजन में मामूली दर से दुगनी दर पर पाने का हकदार होगा।

#### **2. जुर्माने और कटौतियाँ: -**

नियमों के द्वारा या अधीन प्राधिकृत कटौतियों के सिवाय कोई कटौतियाँ मजूरी से नहीं की जाएगी। मजूरी में से कटौतियाँ निम्नलिखित किस्मों में से एक या अधिक किस्म की होगी, अर्थात्

#### **न्यूनतम मजूरी केन्द्रीय) नियम 1950**

i. जुर्माने - उस कार्य या कार्यलोप को, जिसके लिये जुर्माना किया जाने की प्रस्थापना है, नियोजित व्यक्ति को स्वयं और लिखित रूप में भी बताया जायेगा और उसे अवसर भी दिया जायेगा कि वह अपनी सफाई किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में दे। उक्त जुर्माने की रकम भी उसे प्रजापित की जायेगी। वह रकम उन सीमाओं के अधीन होगी जिनती की इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा उल्लिखित की जाएं। इनका उपयोग केन्द्रीय सरकार के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

ii. कर्तव्य से अनुपस्थिति के लिये कटौतियाँ;

iii. जहाँ कि ऐसा नुकसान या हानि कर्मचारी की उपेक्षा या चूक के कारण हुआ माना जा सकता है वहाँ ऐसी वस्तुओं के नुकसान या हानि के लिये, जो कि अभिरक्षा के लिये उसे व्यस्त की गई हो, या ऐसे धन की हानि के लिए,



जिसका लेखा देने को वह अपेक्षित है, कटौतियाँ। वह नुकसान या हानि, जिसके लेखे कटौती की जाने की प्रस्थापना है, नियोजित व्यक्ति को स्वयं और लिखित रूप में भी बताई जायेगी और उसे यह अवसर भी दिया जायेगा कि वह अपनी सफाई किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में दे। उस जुर्माने की रकम उसे प्रजापित की जायेगी। वह उन सीमाओं के अधीन होगी जितनी कि इस सम्बन्ध में के० सरकार द्वारा उल्लिखित की जाये

iv. नियोजक द्वारा सरकार या राज्य सरकार द्वारा गृह आवास देने के लिये राज्य सरकार द्वारा गठित किसी प्राधिकारी द्वारा दिये गए आवास स्थान के लिए कटौतियाँ

v. नियोजक द्वारा या राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत करें, उस द्वारा दी गई ऐसी आसायशों और सेवाओं के लिये कटौती। इनके अन्तर्गत नियोजक के प्रयोजनों के लिये अपेक्षित औजार और संरक्षी उपकरण नहीं हैं:

vi. पेशगियों की वसूली या मजूरी की अधिक देणगी के समायोजन मद्देह कटौतियाँ। ऐसी पेशंगियाँ नियोजित व्यक्ति की दो कलैण्डर मास की मजूरी के बराबर रकम से अधिक नहीं होगी और कटौती की मासिक किसत उस मास में उपर्जित मजूरी की एक चौथाई से अधिक नहीं होगी;

vii. नियोजित व्यक्ति द्वारा देय आय-कर मद्देह कटौतियाँ;

viii. न्यायालय या अन्य समक्ष प्राधिकारी के आदेश द्वारा की जाने के लिए अपेक्षित कटौतियाँ;

ix. किसी भविष्य निधि में अभिदानों के लिए और उससे ली गई पेशगियों के प्रतिदान के लिए कटौतियाँ

X. सहकारी संस्थानों को देने के लिए कटौतियाँ या ऋणों की वसूली के लिये कटौतियाँ जो नियोजक द्वारा उस उद्देश्य के लिये रखे गये फंड में से अग्रिम रूप में दिया गया हो और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया हो, या जीवन बीमा अधिनियम, 1956 (1956 का 31) के अधीन स्थापित लाइफ इंशोरेंस कारपोरेशन आफ इण्डियां को नियोजित व्यक्ति के

लिखित प्राधिकारी से उसकी जीवन बीमा पालिसी के लिये कोई प्रीमियम देने के लिए कटौतियां;

#### **कर्मकार मजूदरी विधि**

x. मजूरी से भिन्न को रकम नियोजित व्यक्ति की बचतों में या उस रकम से अधिक दे दी गयी है जब रकम की वसूली का समायोजन के लिए कटौतियां ।

xii. भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की खरीद के लिये या ऐसी किसी सरकार की बचत योजना को जावे बढ़ाने के उद्देश्य से डाकघर बचत बैंक में जमा करने के लिए नियोजित व्यक्ति के लिखित अधिकार पत्र पर की गई कटौतियाँ। प्रत्येक नियोजक प्ररूप 3 में मजूरी से कटौती दिखाने वाला विवरण वार्षिक भेजेगा जिससे कि वह उस वर्ष के अन्त से जिससे वह सम्बन्धित हैं पीछे आने वाली प्रथम फरवरी से बाद में निरीक्षक को न पहुंचे। परन्तु यह सब जबकि निरीक्षक या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य प्राधिकारी का इस निमित लिखित पूर्व अनुमोदन उस सूरत में के सिवाय, जिसमें की कर्मचारी ने ऐसी कटौतियों के लिये अपनी सम्मति दे दी है। कटौतियां करने के पूर्व अभिप्राप्त कर लिया गया है

#### **3. रजिस्टरों और अभिलेखों का रखना: - (Maintenance of registers and records)**

प्रत्येक नियोजक मजूरियों का एक रजिस्टर कार्य स्थान पर विहित प्ररूप में रखेगा, जिसमें वह प्रत्येक नियोजित व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रत्येक कालावधि के बाद निम्नलिखित विशिष्टियां उल्लिखित करेणा -

- क) देव मजूरियां की न्यूनतम दरे
- ख) उन दिनों की संख्या जिनमें अतिकाल काम किया गया है :
- ग) सकल मजूरी ;
- घ) मजूरी से की गई सब कटौतियाँ ;
- ड) वास्तव में दी गई मजूरी और देनगी की तारीख ।



प्रत्येक नियोजक मजूरी की ऐसी पर्चियां जारी करेगा जिसमें प्रत्येक नियोजित व्यक्ति के बारे में विहित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी । प्रत्येक नियोजक प्रत्येक नियोजित व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान मजूरी पुस्तक और मजूरी पर्ची पर प्राप्त करेगा। मजूरी पुस्तकों और मजूरी पर्चियों में प्रविशिष्टियां नियोजक या उसके अभिकर्ता द्वारा उचित रूप में अधिप्रमाणित की जायेंगी।

#### **न्यूनतम मजूरी (न्यूनतम मजूरी के बारे में) नियम, 1950**

प्रत्येक नियोजक द्वारा हाजिरी रजिस्टर, जुर्मानों का रजिस्टर, क्षति या हानि के लिए कटौतियों का रजिस्टर तथा ओवर टाइम का रजिस्टर कार्य स्थान पर रखा जाएगा और वह विहित प्ररूप में रखा जाएगा। प्रत्येक नियोजक स्थापना और उसके कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वारा पर अंग्रेजी में और कर्मकारों की बहुसंख्या द्वारा समझी जाने वाली भाषा में निम्नलिखित विशिष्टियों वाली सूचनायें साफ और सुपाठ्य रूप में सम्प्रदर्शित रखेगा। (क) मजूरियों का न्यूनतम दर (ख) अधिनियमों और तदधीन बनाये गए नियमों की संक्षिप्तियां; ग) निरीक्षक का नाम और पता । मजूरी का रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर, जुर्मानों का रजिस्टर, क्षति या हानि के लिए कटौतियों का रजिस्टर ओवर टाइम का रजिस्टर जिसमें प्रविष्टि के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षित रखा जायेगा। नियमों के अधीन नियोजक द्वारा रखे जाने के लिये अपेक्षित सभी रजिस्टर और अभिलेख मांग पर निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किये जायेंगे बसते कि वहां कोई स्थापना बन्द कर दी गई है, निरीक्षक अपने कार्यालय में या ऐसे किसी, किसी अन्य स्थान पर जो नियोजकों के अधिक समीप हो, रजिस्टरों और अभिलेखों को प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है।

#### **7. निरीक्षण (Inspections):**

निरीक्षक किन्हीं परिसरों में प्रवेश कर सकेंगे और (दस्तावेजों की परीक्षा और साक्ष्य लेने सहित) निरीक्षण की ऐसी शक्तियां प्रयुक्त कर सकेगा जैसी कि यह अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे।

#### **8. दावे और परिवाद (Claim & Compliants):**

जहां कि कर्मचारी की अपने काम के लिए नियत मजूरी की न्यूनतम दरों से कम दर से या इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अपने देय रकम से कम रकम दी जाती हैं, वहां वह छः मास के भीतर विहित रूप में आवेदन इस प्रयोजन के लिये विद्युत प्राधिकारी से कर सकेगा। यदि प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि ऐसे कालावधि के भीतर आवेदन न करने के लिए आवेदक के पास पर्याप्त हेतु था, तो आवेदक इस कालावधि के पश्चात् भी ग्रहण किया जा सकेगा। कोई विधि व्यवसायी रजिस्ट्रीकृत कर्मकार संघ का पदाधिकारी, निरीक्षक, अधिनियम के अधीन या प्राधिकारी की अगुना से काम करने वाला अन्य व्यक्ति नियोजित व्यक्ति की ओर से परिवाद कर सकेगा। एक ही कारखाने के ऐसे कितने ही व्यक्ति के द्वारा या निर्मित, जिनको गजूरियों की देवणी में विलम्ब हो चुका है, एक ही आवेदन उपस्थित किया जा सकेगा। मजूरी की न्यूनतम दरों से कम पर या अधिनियम के उपलक्ष्यों के अधीन कर्मचारी को शोध्य रकम से कम देनगी करने से संबद्ध परिवाद 22 (क) के अधीन न्यायालय से केवल तभी किया जा सकेगा जब कि अपराध गठित करने वाले तथ्यों के सम्बन्ध में आवेदन धारा 20 के अधीन उससे पहले पेश किया जा चुका हो और सम्पूर्णतयः या भागतः स्वीकृत किया जा चुका हो और समुचित सरकार या इस निर्मित एतद्द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी ने परिवाद करने की मंजूरी दे रखी हो।

#### **कर्मकार मजदूरी विधि**

धारा 22(ख) के अधीन वाले जो परिवाद काम के घटटों और साप्ताहिक विश्राम दिन से सम्बन्ध उपबन्धों के उल्लंघन या रजिस्टर रखने, विवरणियां देने आदि के अन्य प्रकीर्ण अपराधों से सम्बन्ध है, वह निरीक्षक द्वारा या उसकी मंजूरी से न्यायालय में किया जा सकेगा। ऐसे परिवादों को करने का मर्यादाकाल निरीक्षक द्वारा गंजूरी मिलने की तारीख से धारा 22 (ख) के अधीन आने वाले अपराधों की अवस्था में एक मास है और धारा 22 (क) के अधीन आने वाले अपराधों की अवस्था में उस तारीख से, जिसको अपराध किया जाना अभिकथित है, छः मास है।



#### 9. प्राधिकारी द्वारा कार्य (Action by the Authority):

देय न्यूतम मजूरी उस रकम से, जो कि वास्तव में दी गई है, जितनी अधिक है ऐसे आधिक्य की रकम से दस गुने से अनधिक प्रतिकर सहित उतनी कम देने का निदेश प्राधिकारी दे सकेगा। जिन अवस्थाओं में आधिक्य आवेदन के निबटारे से पूर्व दे दिया गया हो, उनमें भी प्रतिकार देने के लिए प्राधिकारी दे सकेगा। यदि विद्वेषपूर्ण या तंग करने वाला परिवाद किया जाता है तो प्राधिकारी आवेदक पर 50 रु0 से अनधिक शास्ति अधिरोपित कर सकेगा और वह आदेश दे सकेगा कि वह नियोजक को दी जाये। प्राधिकारी को प्रत्येक निदेश अंतिम होगा।

#### 10. अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए शस्त्रियाँ

#### **Penalties for Offences under the Act:**

जो कोई नियोजक किसी कर्मचारी को इस अधिनियम के उपबन्धों के उसे शोध्य से कम देता है या प्रसामान्य काम वाले दिन या साप्ताहिक पर्व छुट्टटी के सम्बन्ध में किसी आदेश नियमों का अतिलंघन करता है, वह दिनों भाँति में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा। जो कोई नियोजक अधिनियम के या किसी नियम के या तदर्थीन दिये गये आदेश के किसी का उल्लंघन करता है, वह उस अवस्था में, जिसमें अधिनियम द्वारा ऐसे उल्लंघन के लिए कोई अन्य शास्ति उपबन्धित नहीं है, ऐसे जर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

जहां कि इस अधिनियम के अधीन अपराध समवाय द्वारा किया जाता है, जहां प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय उस समवाय का भार साधक या उस समवाय के कारोबार के संचालन के लिए समवाय के प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह समवाय भी अपराध के लिए दोषी समझा जायेगा और अपने खिलाफ कार्यवाही की जाने और तदनुसार दण्डित किये जाने के दायित्वाधीन होगा और तदनुसार दण्डित किया जायेगा। यदि वह व्यक्ति यह सिद्ध कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया

गया था या ऐसे अपराध का किया जाना निवारित करने के लिए उसने सब 'सम्यक् उघम' किया था तो ऐसा व्यक्ति दण्ड का भागी नहीं होगा। समवाय के किसी भी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य पदाधिकारी के खिलाफ जिसकी सम्पत्ति या मौनानुकूलता से अपराध किया गया था, अधिनियम के अधीन, कार्यवाही की जायेगी और उसे दण्डित किया जायेगा।

न्यनतम मजरी केन्द्रीय) नियम 1950

**टिप्पणी** - (क) 'समवाय' से कोई निगम निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या - व्यक्तियों की अन्य संस्था है ;  
(ख) 'निटेशक' से फर्म के सम्बन्ध में फर्म का भागीदार प्रभिप्रेत है।

#### **11. नियत मजरियों का न्यनतम दरें (Minimum Rates of Wages Fixed)**

क्रम संख्या कर्मचारी का प्रवर्ग

न्यूनतम मजरी

**12. निरीक्षक का नाम और पता** (Name and address of the Inspector(s)).

**नाम** **पता**